

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - सब डिविजनल ऑफिसर

मुकाम - फुलियाकलां

ललील

बनाम

मु. गालकू

किस्म मुकदमा - 212 आर टी एक्ट

प्रकरण संख्या - 38/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम तामील से जारी हुए
4/3/22	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी दिनांक 22/4/22 को पेश हो।</p> <p>21/4/22 पत्रावली पेश हुई। अन्वय पत्र उपस्थित P.O. का अन्वय दर्ज से प्यारब। बाहर पधारे/अभियान में पधार अप्रार्थीगण में से जज, पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/6/22 का पेश हो।</p> <p>24/6/22 पत्रावली पेश हुई। अन्वय पत्र उपस्थित P.O. का अन्वय दर्ज से प्यारब। बाहर पधारे/अभियान में पधार अप्रार्थीगण में से जज, पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/8/22 का पेश हो।</p> <p>31/8/22 पत्रावली पेश हुई। अन्वय पत्र उपस्थित P.O. का अन्वय दर्ज से प्यारब। बाहर पधारे/अभियान में पधार अप्रार्थीगण में से जज, पत्रावली आईन्दा दिनांक 16/11/22 का पेश हो।</p> <p>16/11/22 पत्रावली पेश हुई। अन्वय पत्र उपस्थित P.O. का अन्वय दर्ज से प्यारब। बाहर पधारे/अभियान में पधार अप्रार्थीगण में से जज, पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/11/22 का पेश हो।</p> <p>25/11/22 पत्रावली पेश हुई। अन्वय पत्र उपस्थित P.O. का अन्वय दर्ज से प्यारब। बाहर पधारे/अभियान में पधार अप्रार्थीगण में से जज, पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/4/23 का पेश हो।</p>	


12.04.2023

पत्रावली पैश हुई। प्राथीया अधिवक्ता उपस्थित। चूंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 8/22 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट को वादीया पक्ष द्वारा नोट प्रेस कर दिये जाने से प्रत्याहरित कर निर्णित किया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र में आगे कि कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वादपत्र संख्या 08/22 के साथ नत्थी रहें।

NOT-PR
By me
उपस्थित
अधिवक्ता
जी


उपखण्ड अधिकारी
प्रतिवा कर्ता, जिला-भीलवाड़ा

[Faint, illegible text from the reverse side of the document, likely bleed-through from another page.]